

सूचना अधिकार अधिनियम 2005: डा. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी नैनीताल का सूचना मैनुवल  
धारा-4(1)(b)(xii)

---

अकादमी के सहायकी कार्यक्रम, निष्पादन की रीति,  
आवंटित राशि और लाभार्थियों का विवरण

(Subsidy programmes, Manner of execution,  
amount allocated and beneficiaries)

अकादमी भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली, भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय-व्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च व डवलपमेंट नई दिल्ली, के सौजन्य से तथा राज्य सरकार के बजट से प्रशिक्षण कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन करती है. इन कार्यक्रमों के प्रतिभागियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम में योगदान के लिए कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है.